

प्रेस नोट दिनांक 12.08.2024

थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

- चन्दौली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी व पशु तस्करी के विरुद्ध निरन्तर कार्रवाई जारी
- थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 63.500 कि०ग्रा० अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
- पुलिस टीम द्वारा थाना चन्दौली के जयरामपुर नवहीं कट पास से किया गया गिरफ्तार
- बरामद किये गये अवैध गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, डॉ. ओम प्रकाश सिंह पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में श्री आदित्य लांगहे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में चेकिंग संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान व मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी गगन राज सिंह मय हमराह द्वारा सघन चेकिंग अभियान के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए एक चार पहिया वाहन में ले जा रहे 63.500 कि०ग्रा० अवैध गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्रवाई-

दिनांक 11.08.2024 को थाना प्रभारी गगन राज सिंह मय हमराह जयरामपुर कट पर उपस्थित होकर नवहीं के तरफ से आने वाले व जाने वाले वाहनों को रोक कर बारी-बारी से चेक कर रहे थे कि तभी कुछ समय उपरान्त एक काली कार वाहन संख्या JH01N504 आती हुई दिखाई दी परन्तु आगे चेकिंग देखकर पीछे मुड़ कर भागने का प्रयास किया परन्तु सकरा मार्ग होने एवं कच्चा रास्ता होने के कारण पीछे मुड़ ना सकी जिसके उपरान्त उक्त वाहन चालक की गतिविधि संदिग्ध लगने के कारण मौजूदा पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन को घेराबन्दी कर रोक लिया गया। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वाहन की डिग्गी से कुल 21 बण्डल अवैध गांजा (कुल वजन 63.500 कि०ग्रा०) बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना चन्दौली पर मु.अ.सं. 188/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरी गाडी की डिग्गी में नाजायज गांजा है जिसे वह राउरकेला से सस्ते दामों पर खरीद कर जनपद वाराणसी में ले जाकर ऊंचे दामों में बेचकर अपना जीवन यापन करता है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. आशुतोष पाण्डेय पुत्र बिरेन्द्र नाथ पाण्डेय नि० बहुवरा थाना चाँद जिला भभुआ बिहार उम्र 32 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं०-188/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना व जनपद चन्दौली

2-मु०अ०सं०-394/2021 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण –

1-63.500 कि०ग्रा० नाजायज गांजा (अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये)

2-एक चार पहिया वाहन (JH01N5043)

3-नगदी- 500 रु०

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1.नि० गगन राज सिंह थाना व जिला चन्दौली

2.उ०नि० अमित कुमार मिश्रा थाना व जिला चन्दौली

3.का० कुलदीप कुमार थाना व जिला चन्दौली

4.का० नन्द कुमार थाना व जिला चन्दौली

5.का० सुमित तिवारी

6.का० विजय कुमार गौड़

□ चन्दौली पुलिस के थाना शहाबगंज व थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा कुल 02 वारण्टियो को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में वांछित अपराधियो/वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) अनिल यादव के मार्गदर्शन में व राजेश राय क्षेत्राधिकारी सदर व आशुतोष क्षेत्राधिकारी चकिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष शहाबगंज, व थाना प्रभारी चंदौली के कुशल नेतृत्व में थाना शहाबगंज, व थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा कुल 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

■ □ थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी को किया गया गिरफ्तार-

नाम पता वारंटी अभियुक्त-

1. फूलचन्द यादव पुत्र पंचम यादव निवासी ग्राम कोलउर थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर उम्र करीब 52 वर्ष

अभियोग का विवरण-

मु0नं0 585/98 सरकार बनाम फूलचन्द वगैरह4/71(1) खनन अधिनियम व धारा 379/411 भा.द.वि. थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का स्थान –

अभियुक्त के घर ग्राम कोलउर थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर

■ □ थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी को किया गिरफ्तार-

नाम व पता अभियुक्त-

अश्वनी मिश्रा पुत्र दीन दयाल मिश्रा निवासी गौतमनगर कस्बा थाना व जिला चन्दौली उम्र करीब 44 वर्ष

अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 132/2001 धारा 379/411 भादवि थाना व जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का स्थान –

अभियुक्त के घर गौतमनगर कस्बा थाना व जिला चन्दौली

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□ "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत मारपीट, गाली-गलौज व हत्या का प्रयास करने के दोषी 03 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह- III (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-1) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 03 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 05-05 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

जनपद चन्दौली थाना अलीनगर के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 09.05.1999 को धारा 323/34,324/34,307/34,504,506 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.लोला उर्फ सरफुद्दीन पुत्र जोखू (मृतक दौरान मुकदमा) 2.नसरुद्दीन पुत्र मुस्तकीम 3.सरफुद्दीन पुत्र मुस्तकीम 4.अबरार पुत्र इलितजा निवासी गण ग्राम रेवास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या-39/1999 धारा 323/34,324/34,307/34,504,506 भादवि थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना अलीनगर के पैरोकार हे0का0 राकेश सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 12.08.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह- III (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-1) द्वारा दोषी अभियुक्तगण 1.नसरुद्दीन पुत्र मुस्तकीम 2.सरफुद्दीन पुत्र मुस्तकीम 3.अबरार पुत्र इलितजा निवासी गण ग्राम रेवास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 05-05 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□ "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत एनडीपीएस एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा

जनपद चन्दौली थाना सकलडीहा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 22.08.2003 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.बच्चा सिंह पुत्र गनेश सिंह निवासी गौसपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 124/2003 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार का0 श्यामइन्दर मौर्य की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 12.08.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त 1.बच्चा सिंह पुत्र गनेश सिंह निवासी गौसपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को 01 वर्ष का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा

थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में वांछित अपराधियो/वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा वारण्टी देवनाथ पुत्र शंकर नि० खजुरगाँव थाना अलीनगर चन्दौली सम्बन्धित मु०अ०सं० 384/16 धारा 323/504/506/386 भादवि व 3(1) एससी/एसटी को उनके निवास स्थान से दिनांक 12.08.2024 को गिरफ्तार कर, थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार वारण्टी-

देवनाथ पुत्र शंकर नि० खजुरगाँव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण वारण्ट-

मु०अ०सं० 384/16 धारा 323/504/506/386 भादवि व 3(1) एससी/एसटी

पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० मनीष कुमार सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
- 2.का० दीपक यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली